Volume : 1 | Issue : 4 | April 2012 ISSN - 2250-1991

Research Paper Sociology

Ansuchit jatiyan me lagan sansthan bhal achal - jilla ahmedabad gujarat rajya ke vanshis sandarbhme

अनुसूचित जातियाँ में लग्न संस्थान
भाल अचल - जिल्ला अहमदाबाद गुजरात राज्य के विशेष संदर्भ में

* Dr. H.L. Chavda

* अध्यक्ष, समाजशास्त्र भवन, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर

पूर्वभूमिका :-
किसी भी समाज व्यवस्था को समजने से पूर्व सामाजिक संस्थानों का अभ्यास जरुरी होता है | सामाजिक संस्थान संघर्ष, घर्षण एवं निवारण के लिए आशीर्वाद स्वरुप रहजते है | लोग अपनी आवश्यकताएँ समाज मान्य मार्ग से पूरी कर सकते है |

विवाह संस्थान एतिहासिक रूप से प्राचीन समय स्थापित है | फर्क सिर्फ उनके स्वरूपों में ही देखा जा सकता है | जीवन साथी पसंदगी कि पध्धतियों में फर्क नजर आता है कि 'विवाह' सर्वग्राही स्वरुप कि संस्था है | "ANIMAL MATES BUT MAN MARRIES" अर्थात प्राणी सिर्फ संवनन करता है जबकि मनुष्य विवाह |

विवाह एक सामाजिक बंधन है | जिसके मूल हेतु प्रजोत्पती एवं जातीय संतुष्टि रहे है |

वैवाहिक सबंध को हिन्दु संस्कार मानते है जिसके मूल हेतु इस प्रकार से है |

(१) धर्मपालन-मात्र पुरुष या मात्र स्त्री नहीं कर सकते है जिसके लिए दंपति के रूप में जुड़ना आवश्यक है | बहोत कम मात्र में कोई अकेला बृद्ध या अकेली बृद्धा कि मृत्यु होती है | जिसका साफ़ अर्थ यह होता है कि हर पुखयत वय के स्त्री-पुरुष विवाह के सामाजिक बंधन को स्वीकार करते है | ऋण अदायगी के लिए भी यह सामाजिक बंधन जरुरी है | धार्मिक मान्यता अनुसार स्वर्ग में जाने के लिए भी यह बंधन अनिवार्य है | वैदिक युग में वर्णव्यवस्थानुसार भारतीय समाज में अविवाहितों को स्तर रचनासुर स्वर्ग में जाने के लिए निषिध था | अनुवैदिक युग के उत्तरार्ध में अनुलोभ-प्रतिलोभ विवाह शुरू हुए, वर्ण में से जातियाँ ने जन्म लिया इस बात को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था |

जाती व्यवस्थानुसार विवाह क्षेत्र कि स्तिर रचना में फर्क दिखाई पड़ता है | भारतीय समाज में गाँव, जाती और कुल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है | जिससे भारती समाज कि विशिष्ट पहचान उभर आती है |

इस व्यवस्था में बरक़रार रखने हेतु अन्य मुख्य एवं गौण संस्थाने का भी योगदान रहा है | जिसकी महत्वपूर्ण संस्था 'विवाह संस्था' रही है | हर युग में विवाह संस्थानों का महत्व अनन्य एवं अनूठा रहा है | भारतीय समाज में जाती एवं संस्थानों के उदभव विकास के साथ साथ मनुष्य मनुष्य के बिच संबंधो का अनेक स्तरों से मूल्यांकन शुरू हुआ जिसमे विवाह, धर्म, व्यवसाय आदि बाते महत्वपूर्ण रही |

सभी जातियों में विवाह संस्थान दिखाई पड़ते है | जो अति महत्वपूर्ण है | जातियों में क्रमिक व्यवस्था रही है | जिसमे भी खास करके निम्न वर्गीय जातियों में अंत्यज, दलित वर्ग और उसमे भी अनुसूचित जाती जैसे नामो से जातियाँ पहचानी जाती है | इस जाती में भी विवाह संस्थान कि अनूठी व्यवस्था रही है |

परस्तुत शोध-अभ्यास दलितों में विवाह संस्थान का स्थान स्वरुप है | जिसमे परंपरागत समाज में विवाह संस्थान किसि स्वरुप रही थी ? वर्तमान समय में उसमे क्या परिवर्तन हुए ? उसका अनुभवजन्य निरूपण यहाँ पर किया गया है |

प्रस्तुत अभ्यास में अनुसूचित जाती के विवाह संस्थान का परिचय एवं विस्तृत चर्चा के पूर्व प्रारंभिक अनुसूचित जाती, विवाह संस्थान और अनुसूचित जाती में विवाह संस्थान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है |

अनुसूचित जाती :-
भारतीय समाज में अनुसूचित जाती उनके नामो से पहचानी जाती है | देश के सभी राज्यों में अलग-अलग नामो से पहचानी जाती है जैसे कि हरिजन, अंत्यज, दलित वर्ग पंचम वर्ण के रूप में पहचानी जाती है |

भारत कि राजकीय आजादी के बाद अनुसूचित जाती नाम दिया गया | यह नाम किसी जाती विशेष का घोतक ण होकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाती के एक वर्ग या समूह में एकत्रित करके दिया गया नाम है | इस समाज के स्तर रचना उच्च वर्गीय जातियों के मॉडल पर आधारित है | उच्च वर्गीय जातियों में भी छुआ-छूत, उच्च निम्न के भेद भाव दिखाई पड़ते है | उसके बिच रोटी-बेटी के नियत नियम या स्तर रचना बनी हुई है | ये लोग विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभक्त होने के कारन विवाह संबंध नहीं है | उसमे हमें प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता भी दृष्टिगत होती है | उसका सामाजिक स्तर निम्न प्रकार का है | गुजरात में अनुसूचित जाती का प्रमाण कुल जातियों में से ७.४१% है | गुजरात राज्य कि अनुसूचित जातीयो में सबसे अधिक जनसमूह धारण करनेवाली निम्निरूपेण चार जातियाँ है |

(१) माहयावंशी वणकर | (३) भंगी, महेटर या रुखी |
(२) भांभी-चमार | (४) मेघवार या मेघवाल |

अनुसूचित जाती-बस्ती का कोष्टक रूप चित्र चमार जाती कि बस्ती (गुजरात) १९६९ से १९९१

क्रम	वर्ष	कुल बस्ती	अनु.जाती कि बस्ती	कुल बस्ती में	चमार जाती कि बस्ती
१	१९६१	०२.०६.३३.३५०	१३.६७.२५५	६.३३	०३.०६.४९१
२	१९७१	०२.६६.९७.४७५	१८.२५.४३२	६.८४	०३.६५.०८६
३	१९८१	०३.४०.८५.७९९	२४.३८.२९७	७.१५	०९.६४.०८६
४	१९९१	०४.१३.०९.५८२	३०.६०.३५८	७.४१	

गुजरात राज्य में वणकर जाती कि संख्या

क्रम	जाती	१९६१	१९७१	१९८१
१	वणकर माहयावंशी	०५.८२.१११	०७.५०.११३	१०.४९.८३१
२	मेघवाल	०१.४९.७७९	०१.४९.०४९	०१.३३.७६०
३	कासिया वणकर	०१.६७३	०१.९२६	०३.१६०
४	महार	०२.६६८	०४.८०६	०९.२८१
५	मूल	०७.३६.२३१	०९.०५.८९४	११.९६.०३२

गुजरात कि अनुसूचित जाती में मुख्य जातियाँ वणकर, चमार, भंगी आदि रही है | अन्य जाती-उपजातियों कि संख्या कम ज्यादा प्रमाण में दिखाई पड़ती है | उसमे से खास करके वणकर एवं चमार जाती पर प्रस्तुत शोध आधारित है |

लग्न संस्थान :-
मानव समूह कि विविध आवश्यकताओ के कारन विविध संगठन एवं संस्थान अस्तित्व में आए | यह संस्थान एवं संगठन मानव समुदाय का स्थिरता एवं सज्जता प्रदान करते है | विविध संस्थानों में से ही विवाह संस्थान एक है | यह संस्था स्त्री-पुरुष के बिच व्यवहृत जातीय संबंधो को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से नियमित

एवं नयिति करने का कार्य करती है |

बेस्टर मार्क के मत से सामाजिक रिवाज या कानून के द्वारा अनुमति एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ तथा एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ जुड़े संबंध को शादी कहते है | उपर्युक्त संबंधो के परिणाम स्वरुप जन्म लेनेवाले संतान निश्चित हक्क या जिम्मेवारी के हक़दार है | इ.एस.बेगार्डस के मत से शादी किसी भी स्त्री-पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाती संस्था है | अर्थात समाज की विविधि आवश्यकताओ एवं जातीय संबंधो को नियंत्रित करनेवाली मूल संस्था है |

अनुसूचित जाती में लग्न संस्थान :
गुजरात में दलित जाती की संख्या विभिन्न स्थलों पर निवास करती है परंतु वर्तमान समय में नगरों में इसका बढ़ रहा है |

दलित समाज के परंपरागत लक्षण निम्नरूपेण है :-

१. बड़े-बुझुर्गो द्वारा जीवन साथी की पसंदगी |

२. व्यक्तिगत के बदले पारिवारिक खानदानी महत्वपूर्ण |

३. अपने गौळ परगणा को विवाह के लिए प्राधान्य |

४. अपनी ही जाती में विवाह का आग्रह |

५. बालविवाह |

६. विवाह विधी विधिवा पुनर्विवाह को मान्यता |

७. अपनी ही जाती के ब्राह्मण द्वारा विवाह विधिया |

८. एक साथी विवाह-प्रथा |

९. दयिर वटू विवाह मान्य |

१०. नजदीकी रक्त सम्बन्धों पर विवाह पर प्रतिबंध |

उपर्युक्त लाक्षणिकताए ब्रिटिश युग पूर्व एवम ब्रिटिश युग में दिखाई पड़ती थी | अनेकविध प्रयत्नों से परिवर्तन संभव हुआ | परिवर्तन की असर ग्रामीण एवम नगरीय समाज में अलग-अलग रूप से दिखाई पड़ती है |

दलित समाज की विवाह संस्थाओ में स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन तेजी से हुआ | गुजरात में विवाह की विविधि रीत-रस्मे देखने को मिलिती है |

एम.एन.श्रीनिवास संस्कृतिकरण सिध्धांत के अनुसार दलित समाज में परिवर्तन का प्रवाह अब शुरू हो चूका है | अन्य समाजो से परिचिति हो रहे है | समानता की ओर प्रवाह चल रहा है | ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है | समग्र गुजरात में दलित समाज में विवाह संस्थान की परंपरा और आधुनिकीकरण का संगम दिखाई पड़ता है | जिसमे अनेक परिवर्तन आए हुए है, जो निम्नरूपेण है |

रचनात्मक परिवर्तन :
(१) विवाह की वय मर्यादा बढ़ गई :
अनुसूचित जाति में विवाह-वय मर्यादा ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अलग अलग रही है | जहाँ शिक्षण, संचार माध्यम का क्रम प्रभाव, सामशाही का प्रभाव आदि जैसे स्थलों पर वय मर्यादा कम हुई है | लोग अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अपनी पुत्री का इज़्ज़त के साथ जल्दी विवाह हो जाए ऐसा सोचते है | जबकी शिक्षण, संचार माध्यम जैसे अनेक प्रभावों के कारण नगरीय समाज में विवाह वयमर्यादा बढ़ गई है | ग्रामीण समाज में १६ से १७ और नगरीय समाज में १८ से अधिक वय में विवाह हो जाते है |

(1) विवाह में संतानों की पसंदगी को महत्तव :
वर्तमान समय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माता-पिता अपने संतानों की पसंद पर पारिवारिक रूप से चर्चा करते है | युवक-युवतियों को प्रत्यक्ष मुलाकात नगरीय जीवन में सामान्य बात है | ग्रामीण सभ्यता में भी अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष मुलाकात को स्वीकारने लगे है | जीवनसाथी की पसंदगी में पूर्व बड़े-बुझुर्गो पारिवारिकता ही महत्वपूर्ण है | साथ ही साथ संतानों की पसंद भी महत्वपूर्ण बन रही है |

(३) **समान दरज़्जानुसार जीवनसाथी** :
अपने संतानों का विवाह अपने दरज़्जावाले परिवार से हो ऐसी मान्यता रही है | उदाहरण के लिए : शिक्षित, नोकरी करनेवाला उद्योगपति आदि में अपने दरज़्जे अनुसार विवाह तय होता है | आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित नगरीय वर्ग अपने संतानों के विवाह नगरीय सुखी-संपन्न परिवार में करने का आग्रह रखते है |

(४) विवाह की पवित्रता :
विवाह भव-भव का बंधन है | धार्मिक विधि अनुसार ही विवाह योग्य है ऐसा ख्याल वर्तमान समय में दृढ बनता जा रहा है | वर्तमान वर्ग विवाह का महत्तव समजने लगा है |

(५) विवाह-विच्छेद कठिन :
दलित वर्ग में विवाह पवित्र बंधन था ही परंतु वैयक्तिक या पारिवारिक विसंगतता, विसंवादिता पति-पत्नी के बिच जन्म लेने के कारण मंगनी या विवाह विग्रह हो जाता है | वर्तमान समय की परिस्थिति में कुछ बदलाव दिखाई देता है | विवाह का महत्तव, आनुषंगिक अनेक प्रश्नों के कारण जीवनसाथी के साथ रिश्ता निभा लेते है | विभक्त कुटुंब, नगरीय जीवन, बड़े बुझुर्गो का महत्तव आदि नहिवत होता जा रहा है, जिसके फल स्वरुप विवाह विग्रह कठिन बन रहा है | स्त्री पर लागू कानून, कोर्ट-कचहरी की दौड धुप आदि प्रश्नों से सभान होकर भी विवाह-विच्छेद कठिन बना है |

नकारात्मक परिवर्तन :
वर्तमान समय के दौरान विवाह संस्थान के सामने अनेक नकारात्मक बातों ने जन्म लिया है | जो निम्नरूपेण है |

(१) पात्र-पसंदगी में कठिनाई :
जीवनसाथी पसंदगी में अनेक कठिनाइया आज खड़ी हो गई है परिणामतः विवाह-वय मर्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बढती जा रही है | जिसके कुछेक महत्वपूर्ण कारण निम्नरूपेण है |

- नगरीय निवास : जिसके फलस्वरूप अपनी जाति से संपर्क नहिवत हो गया |
- व्यावसायिक व्यस्तता : जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समाज में आने-जाने का अभाव |
- माता-पिता लि तीसरी, चौथी पीढ़ी के साथ संपर्क नहिवत |
- ग्रामीण समाज में नगरीय संस्कृति के आने-जाने का अभाव |
- अपने कुल से उच्च कुल या कुटुंब के साथ विवाह व्यवहार का आग्रह |
- परिवार के बदले वैयक्ती लायकात को प्राधान्य |

उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरुप जीवनसाथी पसंदगी मुश्केल बन रही है |

(२) विवाह दौरान लेन-देन एक प्रश्न :
ग्रामीण समाज में जीवनसाथी पसंदगी में लेन-देन का व्यवहार ने जन्म लिया है | जाति के नियमानुसार, प्रादेशिक रिवाज अनुसार लेन-देन करनी पड़ती है | दोनों परिवार की संमती से अशिक्षित और गरीब बेटी के माता-पिता कुछ रकम, झेवर आदि लड़केवालो से लेते है |

(३) विधिवा पुनर्लग्न कठिन :
मध्यकालीन और ब्रिटिश युग में विधिवा-विवाह हो रहे थे | वर्तमान

समय में विधिवा-विवाह कठिन हो रहे है | विधिवा अपना शेष जीवन अपने बच्चे है तो उसके साथ बिताना योग्य समजकर दूसरा विवाह नहीं करती | बिना संतान की विधिवा स्त्री अपने बल बूते पर रोजगारी प्राप्त करके जीवन बिताना चाहती होने के कारन पुनर्लग्न के लिए तैयार नहीं होती |

(४) पारिवारिक क्लेश या संघर्ष बढे :
वर्तमान समय में नगर एवं गाँव में संयुक्त परिवार का महत्तव कम होता जा रहा है | विभक्त परिवारों की संख्या दर-बदर बढती दिखाई पड़ती है | पति-पत्नी के बिच होनेवाले संघर्षो का निबिटारा बड़े-बुझुर्गो के बदले पुलिसथानो में होने लगे |

(५) आत्महत्या का प्रमाण बढ़ा :
वर्तमान समय के तमाम सामाजिक समुदायों में आत्महत्या का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आता है | पारिवारिक क्लेशो में सहनशीलता का आभाव दिखाई पड़ता है | पति-पत्नी के बिच अपेक्षाएँ बढती नजर आती है | योग्य जीवनसाथी न मिलने पर योग्य उम्र में विवाह न होने के कारन आत्महत्या की घटनाए घटित होती है |

(६) अपरणित संतानों के प्रश्न :
ग्राम्य एवं शहरी समाज में अपरणित संतानों की संख्या बढ़ने लगी

है | शिक्षित, परिवार में विवाह वय २५ वर्ष के आसपास रहती है | इस समय दौरान मानसिक विकृतियाँ, पारिवारिक क्लेश, अपेक्षित पात्र, परिवार या योग्यतावाला पात्र न मिलने के कारन अपरणितो कि संख्या में वृद्धि हो रही हे |

(७) अपने गोळ-परगणा को प्राधान्य :
अनुसूचित जाती अनेक परगणो में विभक्त है | सभी अपने अपने परगणे में ही विवाह करने-करवाने के आग्रही होते है | जिसका आजतक स्वरुप बना रहा |

गुजरात में चमार समाज के गोळ परगणे :
१. ६३६ रोहित समाज :- खेडा, आणंद, बगोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर आदि जिल्ले से बना हुआ है |
२. २८२ रोहित समाज :- महेसाना जिल्ला विविध परगणा, उपपरगणाओ का विस्तार है |
३. ५२ परगणा :- दहेगौव, तहसील विस्तार भी उपपरगणाओ में विभक्त है |
४. भाल परगणा :- धोलका, बावला, विरमगाम, सानंद, खंभात तहसील का विस्तार - भाल परगणा तिन उपपरगणा में बटा हुआ है |
५. छोटी दशकोशी परगणु - अहमदाबाद सिटी, लांभा, नरोडा, जेतलपुर आदि |
६. १०६ छोतरे (७६) परगणा |
७. चुंवाल परगणु - विरमगाम के कई गाँव |
८. पाटनवाला रोहित समाज |
९. ३६० छेडाल परगणु - चलोडा के पास का विस्तार |
१०. दोतोर परगणु - जेरालू तहसील का विस्तार |
११. झालावाड और गोहलवाड परगणु - सौराष्ट्र, केशोद, वंथली, अमरेली का विस्तार
१२. ५२ परगणु - धंधुका तहसील का विस्तार |
१३. ३८ गाँव भाल रोहित समाज - धोलका और विरमगाम - १४, ८४ परगणा |

गुजरात के वणकर समाज के परगणे :-
१. २८२ वणकर जाती पंच |
२. ७६०० परगणा ब्यालिश पंचगोळ का वणकर समाज |
३. छोतेरसो डॉ छोतेरसो, बाविस परगणा |
४. १३५ पाटणवाडा समस्त वणकर समाज |
५. बयालीस परगणा वणकर पंच |
६. छेडाल परगणा बड़ा भाग वणकर समाज |
७. सत्ताईस गाँव वणकर समाज |
८. बहतर गाँव वणकर जाती पंच |
९. हवेली परगणा ब्यालिश गाँव वणकर पंच |
१०. सवासो परगणा वणकर पंच |
११. छप्पन-छत्तीस बालुगौव वणकर समाज |
१२. छियासी गाँव वणकर समाज |
१३. अहमदाबाद मूलगामी वणकर समाज |
१४. भाल प्रदेश वणकर समाज के ३६ गाँव कि वणकर जाती |
१५. वढवाण परगणा बाईस गाँव कि वणकर जाती |
१६. सौराष्ट्रवासी बांसठ गाँव के वणकर |
उपर्युक्त विवृत संक्षिप्त जानकारी दलित समाज के विविध परगणा कि है, जिसके उपपरगणाओ को गोळ कहते है |

लग्न-संस्थान सांप्रत समस्याए व संभवित समाधान :
उपर्युक्त विवरणानुसार दलित समाज के हकारात्मक एवं नकारात्मक सुधारों का विस्तार हुआ है | ब्रिटिश युग में जो व्यवस्था थी वह योग्य ही थी | आज अनेक पड़कार रूपी समस्याओ ने जन्म लिया है | जिसकी खातिर हम क्या कर सकते है ? लेकिन अब घडी कि सुई उल्टी घुमाने जैसी कठिन बात को नहीं सुधार सकते | आज जाति पंचायतो के हस्तक्षेप कि स्वीकृति नहीं करते जिसके परिणाम स्वरुप विवाह जटिल बनते जा रहे है जिसे दूर करने के विविध पडकारों का सामना करना होगा | जिसका आयोजन निम्निरूपेण है -

१. जाती संगठित बनाना |
२. जाति कि डिरेक्टरी बनाना |
३. जाति में व्याप्त वाडा प्रथा दूर करना |
४. शिक्षितो को अपना योगदान देना होगा |
५. जाति कि सहकार बेंक स्थापित करना |
६. जातिजिनो को प्रसंगानुसार नियमित मिलना होंगा |
७. जाति के युवक-युवतियों के बायोडेटा तैयार करना |
८. अपनी जाति के ब्राहमण-गोर कि भूमिका पुनः स्थापित करना |
९. जाति-उपजातियों द्वारा समूह-विवाह का आयाजन करना होगा |
१०. निरक्षरता दूर करनी होगी |

REFERENCES

१. मकवाणा मनुभाई - गुजरात में अनुसूचित जातियाँ सुरभि प्रकाशन बडौदा वर्ष - २००० २. मकवाणा मनुभाई -गुजरात में वणकरो : एक अध्ययन सुरभि प्रकाशन बडौदा वर्ष - २००४ ३. महेन्द्र एफ. राव - भारत की सामाजिक संस्थाएँ अखिल हिंदि प्रकाशन, अहमदाबाद, वर्ष- १९७१ ४. मोतीलाल गुप्ता - भारत कि सामाजिक संस्थाएँ राजस्थान हिन्दि ग्रंथ अकादमी, नागपुर | ५. राम आहूजा - सामाजिक समस्याएँ , रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली, वर्ष १९९४ ६. संपादक :- ज्योत्सना एफ. मेकवान - इसुदास आर. वाघेला आजादी कि आधी सदी और गुजरात में दलितों कि परिस्थिति सुरभि प्रकाशन, बडौदा, वर्ष- २००१